

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 18 सितम्बर, 2001 (भाद्र 27, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख -

- (1) श्री सवाई सिंह मण्डलोई, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा; तथा
(2) श्री किशोर सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नोत्तर

श्री नरसिंहराव दीक्षित भूतपूर्व सदस्य विधान सभा
उत्तर में किया गया.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 26 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा (वर्षान्त 31 मार्च, 1997) पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री, सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं -

- (क) एफ क्र. पन्द्रह-17-2000-15-1, दिनांक 19 जून, 2001; तथा
(ख) क्र. एफ. 5-11-2001-पन्द्रह-1, दिनांक 14 अगस्त, 2001,

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन -

- (क) भारत के संविधान के अनुच्छेद-323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (1-4-99 से 31-3-2000) का तिरयालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000; तथा

(ख) मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम, 1996 (क्रमांक 26 सन् 1997) की धारा 33 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2001, पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लालसिंह, नरेन्द्र बिरयरे, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, झाबुआ जिले के ग्राम बड़ा उण्डवा में आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. कल्पना परुलेकर, श्री राजेन्द्र भारती (बलिया), सदस्य, उज्जैन जिले में कृषकों को फसल बीमा की राशि न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री, सहकारिता का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. वक्तव्य

श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, दिनांक 4 सितम्बर, 2001 को पूछे गये परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 86 (क्रमांक-4132) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

(1) श्री डोमन सिंह नगापुरे, श्रम मंत्री, मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 20 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

1 घण्टा

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 3 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घण्टे

(3) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 18 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. नियम 139 के अधीन अधिलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

मध्यप्रदेश में सड़कों की जर्जर हालत होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

भोपाल :
दिनांक : 17 सितम्बर, 2001

डॉ. ए. के. पचासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.